



## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

### लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2170 वर्ष 2026

रमेश

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रमुख गृह सचिव लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: रजत प्रताप सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

### न्यायालय संख्या -13

### माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीष कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक - जो पुलिस थाना मंझिला, जिला हरदोई में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 307/2025, में अंतर्गत धारा 103, 3(5), 238 बी.एन.एस, मामले में शामिल है - वाद के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग कर रहा है।

3. दिनांक 10.10.2025 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जो मृतक के पिता द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 103(1)(बी) बी एन एस {धारा 302 आई पी सी (अब निरस्त)} के तहत दर्ज कराई गई थी, यह आरोप लगाया गया है कि उनका बेटा उमेश उर्फ गट्टाऊ (अब मृतक), जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, दिनांक 26.09.2025 को अपनी गायों और भैंसों को चराने के लिए जंगल गया था; और जब वह शाम तक घर नहीं लौटा, तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, और दिनांक 27.09.2025 को सुबह लगभग 5:00 बजे उसका शव बरामद हुआ।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी, और इसे दर्ज कराने में लगभग दो सप्ताह की अस्पष्टीकृत देरी हुई थी। आगे यह भी कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर केवल एक ही चोट पाई गई थी। यह तर्क भी दिया गया है कि आवेदक को इस मामले में केवल अनुमानों और मान्यताओं, तथाकथित स्वतंत्र गवाहों के बयानों के आधार पर झूठा फंसाया गया है; और आरोप पत्र (चार्जशीट) भी पूरी तरह से इन्हीं बयानों के आधार पर दाखिल किया गया है। स्वतंत्र गवाहों में से एक ने यह बयान दिया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है कि संभवतः मृतक ने आवेदक और अन्य सह-आरोपियों - नामतः शेरू उर्फ शेर सिंह, प्रदीप, सतीश उर्फ सिपाही, और कुलदीप - के साथ मिलकर देसी शराब का सेवन किया था, और हो सकता है कि उन्होंने ही उसकी हत्या की हो। मृतक के भाई ने अपने बयान में कहा है कि सह-आरोपी सतीश उर्फ सिपाही के पिता संगम उसके पास आए थे और उन्होंने यह स्वीकार किया कि मृतक की हत्या आरोपी व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जिसमें आवेदक भी शामिल है।

5. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और जांच के दौरान आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है, तथा आरोप पत्र (चार्जशीट) उपर्युक्त बयानों और पुलिस के समक्ष आवेदक द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर दायर किया गया है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 18.10.2025 से जेल में है।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्राप्त निर्देशों के आधार पर, जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और निवेदन किया कि स्वतंत्र गवाहों के बयानों के आधार पर, आवेदक और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध बनता है। तथापि, वह बयानों की प्रकृति के संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके, न ही वह इस बात का खंडन कर सके कि उन बयानों और कथित इकबालिया बयान के अलावा, जांच के दौरान कोई अन्य ठोस साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है, जिसके आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मुख्य रूप से कथित गवाहों के बयानों से निकाले गए अनुमानों के आधार पर, जो कि प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं तथा पुलिस के समक्ष आवेदक द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर फंसाया गया है। प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी, जिसमें बिना किसी स्पष्टीकरण के दो सप्ताह का विलंब हुआ था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदक ने जमानत प्राप्त करने के लिए एक उचित आधार प्रस्तुत किया है।

8. तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. आवेदक **रमेश** को उपरोक्त वाद अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष, निर्धारित प्रत्येक तिथि पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(vii) आवेदक साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब सुनवाई स्थगित करने का कोई अनुरोध नहीं करेगा।

(viii) आवेदक, आ.प्र.सं. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए निर्धारित तिथियों पर, विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

10. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

11. चूंकि यह आदेश आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और परीक्षण न्यायालय इस न्यायालय द्वारा कि गयी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होंगे।

**26 मार्च, 2026**

दिव्या

**(न्यायाधीश श्री मनीष कुमार)**